लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक : 19 सितम्बर, 2015 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की बैठक संख्या 9/2015 की

कार्यवाही

उपस्थिति

1. डॉ0 एस0बी0 निमसे	अध्यक्ष/कुलपति
2. प्रो0 बी0के तिवारी	सदस्य
3. प्रो0 कालीचरण स्नेही	सदस्य
4. प्रो0 पद्मकान्त	सदस्य
5. प्रो0 यू0डी0 मिश्रा	सदस्य
6. डॉ0 बी0डी0 सिंह	सदस्य
7. डॉ0 एस0ए0 रिज़वी	सदस्य
8. डॉ0 शशि कनौजिया	सदस्य
9. डॉ0 ओ0पी0 शुक्ला	सदस्य
10. श्री अनिल कुमार सिंह	सदस्य
11. श्री देवी प्रसाद चौधरी	सदस्य
12. डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा	सचिव/कुलसचिव

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय ने बैठक के आरम्भ में सभी मा0 सदस्यों का स्वागत किया और समस्त मा0 सदस्यों को यह भी बताया कि सचिव/कुलसचिव डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा की पदोन्नति भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0ए0एस0) में हो गया है। सभी मा0 सदस्यों द्वारा सचिव/कुलसचिव डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा को बधाई दी गयी जिसपर कुलसचिव द्वारा समस्त मा0 सदस्यों को अपना आभार प्रकट किया। तत्पश्चात मा0 कुलपति/अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव/सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी।

9/2015–मद संख्या 01 – परिषद द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 06.07.2015 एवं आकस्मिक बैठक 21.07.2015 की कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गयी तथा दिनांक 26.08.2015 के कार्यवृत्त द्वारा गठित समिति को मा0 उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक (Abeyance) में रखा।

9/2015–मद संख्या 02 – परिषद द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 06.07.2015 एवं आकस्मिक बैठक 21.07.2015 की कृत कार्यवाही से परिषद अवगत हुई तथा दिनांक 26.08.2015 के कार्यवृत्त द्वारा गठित समिति को मा0 उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक (Abeyance) में रखा।

9/2015–मद संख्या 03 – कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.08.2015 के कार्यवृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/2015–मद संख्या 04 – सर्वप्रथम कार्य परिषद सदस्य श्री डी0पी0 चौधरी द्वारा Sabbatical Leave के प्रकरण पर विधिक आपत्ति दर्ज कराते हुए परिनियम 15.14(VI) एवं 15.21 मे निहित प्राविधानों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित किया तत्पश्चात सदन परिनियम में निहित प्राविधानों से अवगत हुई तदोपरान्त कुलसचिव के पत्र संख्या–26149–52 दिनांक 10.08.2015 के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग में कार्यरत प्रो0 प्रेम शंकर को शैक्षिक दक्षता हेतु परिनियम 15.14(VI) एवं 15.21 के प्राविधानान्तर्गत दिनांक 01.08.2015 से दिनांक 30.04.2016 तक पूर्ण वेतन पर Sabbatical Leave प्रदान किये जाने पर सर्व सम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।.

9/2015–मद संख्या 05 – परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में शिक्षक के पद पर कार्यरत स्व0 डा0 राजबली जैसल, सह आचार्य की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के कारण मृतक सरकारी सेवा भर्ती नियमावली–1994 के अन्तर्गत प्राप्त उनके पुत्र श्री इन्द्रेश कुमार जैसल के आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त उनके शैक्षिक अर्हता एवं शासनादेशों में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मा0 कुलपति जी द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नैत्यिक लिपिक के पद पर कुलसचिव कार्यालय में नियुक्त किये जाने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/2015–मद संख्या 06 – कार्य परिषद के उपस्थित समस्त मा0 सदस्यों को कुलसचिव/सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि अभियुक्तगण श्री चंचल सिंह, श्री अंकित शर्मा तथा विनय सिंह मु0अ0स0 293/8 धारा–354, 294 भा0द0स0 के अन्तर्गत निरूद्ध किये गये थे। लखनऊ विश्वविद्यालय ने श्री चंचल सिंह को विश्वविद्यालय द्वारा निष्कासित कर दिया गया था, परन्तु श्री चंचल सिंह एवं अन्य अभियुक्तों को अपर मुख्य न्यायायिक मैजिस्टेट

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

–द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया, इसी परिपेक्ष्य में श्री चंचल सिंह ने एम0आई0एस0सी0 सिंगिल नं0–4564 ऑफ 2013 में मा0 उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इनके प्रकरण पर लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद तीन माह के अन्दर इनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर विचार करें। उक्त के क्रम में दिनांक 19.09.2015 की कार्य परिषद में श्री चंचल सिंह, श्री अंकित शर्मा तथा विनय सिंह के प्रकरण पर मा0 सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गयी और पाया गया कि श्री चंचल सिंह एवं अन्य पर लगाया गया आरोप संस्थित था तथा वर्तमान कुलानुशासक द्वारा दी गयी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गयी है कि श्री चंचल सिंह पुत्र श्री बी0बी0 सिंह को विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप मे निष्कासित किया गया था। जो कि अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। निष्कासन के बाद भी श्री चंचल सिंह द्वारा अन्य संस्थान से विधि की उपाधि प्राप्त कर ली है। समग्र विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि श्री चंचल सिंह एवं अन्य के द्वारा दिनांक 20.04.2015 को दिये गये प्रार्थना पत्र को निरस्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि श्री चंचल सिंह एवं अन्य को विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश की अनुमति नही दी जा सकती।

9/2015–मद संख्या 07 – परिषद द्वारा कुलसचिव के पत्र संख्या–27210–13 दिनांक 19.08.2015 के क्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय, के समाज कार्य विभाग में कार्यरत प्रो0 आर0के0 सिंह समन्वयक स्नातक/परास्नातक एवं पीएच0डी0 प्रवेश 2015 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या–240/एल0यू0 प्रवेश–2015 दिनांक 14.08.2015 के क्रम में पी0एच0डी0 आवेदन शुल्क निर्धारण सामान्य वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के हेतु रू0 1500/– तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रू0 750/–विषयक प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/2015–मद संख्या 08 – परिषद द्वारा परीक्षा फल सूचना संख्या रिसर्च/07/2015 दिनांक 27.07.2015 तथा रिसर्च/08/2015 दिनांक 12.08.2015 पीएच0डी0 की उपाधि प्रदान किये जाने पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/2015–मद संख्या 09 – परिषद द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2015 को सम्पन्न कार्य परिषद के विनिश्चय संख्या 6/2015– मद संख्या 20 के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त छः महाविद्यालयों को प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सत्र 2015–16 हेतु (एक वर्ष के लिए) प्रवेश प्रतिबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त के क्रम में छः महाविद्यालयों में से तीन महाविद्यालयों ने दिनांक 06 जुलाई, 2015 को सम्पन्न कार्य परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय से अवगत होने के पूर्व ही छात्र/छात्राओं का प्रवेश ले लिया था।

अतः समग्र विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उक्त तीन महाविद्यालयों में वर्ष 2015–16 के लिए प्रवेश हेतु लगाये गये प्रतिबन्ध को निरस्त किया जाता है तथा उक्त तीनों महाविद्यालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि सहयुक्तता से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही को जल्द पूर्ण करेंगा।

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

प्रवेश से प्रतिबन्ध हटाये गये महाविद्यालयों की सूची निम्नवत् है :–

क्रम सं0	कालेज का नाम	विषय
1	सूर्या कॉलेज ऑफ मैनेजमेन्ट, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ	बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0
2	वनस्थली ज्ञानपीठ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, रामपुर बेहड़ा, बख्शी का तालाब, इन्दौराबाग, लखनऊ।	बी0ए0 एवं बी0कॉम0
3	अकबरी बेगम लॉ कॉलेज, लखनऊ।	विधि त्रिवर्षीय

9/2015–मद संख्या 10 – परिषद द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीगंज में पूर्व संचालित स्नातक (बी0ए0, बी0एस–सी तथा बी0कॉम0) पाठ्यक्रमों तथा परास्नातक के (अर्थशास्त्र,समाजशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं गृह विज्ञान) विषयों की अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2015–16 के लिए विस्तारण किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/2015–मद संख्या 11 – परिषद द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजाजीपुरम, लखनऊ में पूर्व संचालित स्नातक (बी0ए0, बी0एस–सी तथा बी0कॉम0) पाठ्यक्रमों तथा परास्नातक के (अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास एवं गृह विज्ञान) विषयों की अस्थायी सहयुक्तता सत्र 2015–16 के लिए विस्तारण किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/2015–मद संख्या 12 – परिषद द्वारा चरक इन्सटीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मौरा, लखनऊ में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2015–16 से बी0एस–सी0 पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निरीक्षण मण्डल की आख्या दिनांक 17.07.2015 की संस्तुति के क्रम में कार्य परिषद की अनुमोदन की प्रत्याशा में पत्र संख्या 28226 दिनांक 28.08.2015 द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है पर परिषद द्वारा अनुमोदन पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/2015–मद संख्या 13 – विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–03 के पत्र संख्या 879/सत्तर–3–2013–07(10)/2015 दिनांक 16.07.2015 द्वारा एन0सी0टी0 नियमावली 2014 में निम्नलिखित पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु आदेश प्रदान किया है जो निम्नलिखित है:–

01- Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.),
02- Bachelor of Education (B.Ed.),
03- Bachelor of Education (B.Ed.) through ODL Mode,
04- Bachelor of Physical Education (B.P.Ed),
05- Master of Education (M.Ed.),
06- Master of Physical Education (M.P.Ed.),
07- BA, B.Ed/B.Sc. –B.Ed. Integrated programme of 4 Years' duration,
08- Integrated B.Ed.-M.Ed. programme of 3 years' duration,
09- B.Ed. (Part-time) programme of 3 years' duration

सदन को अवगत कराया गया कि उक्त पाठ्यक्रम नवीन पाठ्यक्रम हैं और विश्वविद्यालय में क्रमांक संख्या 01, 03, 07, 08 एवं 09 विश्वविद्यालय में संचालित नहीं है यह भी निर्णय लिया गया कि

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

उक्त सभी पाठ्यक्रमों को विभागीय अध्ययन मण्डल की स्वीकृति के पश्चात् विद्या परिषद के अनुमोदनोपरान्त ही संचालित किया जायेगा।

पूरक कार्यवृत्त 9/2015

9/2015–मद संख्या 14

परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत यूनिटी डिग्री कॉलेज, हरदोई रोड में विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम को निरीक्षण मण्डल दिनांक 24.07.2015 की संस्तुति के आधार पर सत्र 2015–16 हेतु अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने पर सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/2015–मद संख्या 15

परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियत वेतन प्रदान किये जाने सम्बन्धित प्रस्ताव पर सचिव/कुलसचिव द्वारा सदन को यह अवगत कराया गया कि लखनऊ विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट शासनादेश व निर्णय नही है और पूर्व कई वर्षो से आवश्यकतानुसार मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त दैनिक तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को रू0 210/– प्रतिदिन (वर्तमान) की दर से तथा दैनिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रू0 191/– प्रतिदिन की दर से 89 दिनों पर एक दिन का व्यवधान करते हुए कार्य कर रहे है। वित्त अधिकारी महोदय ने सदन को अवगत कराया कि यद्यपि दैनिक वेतन भोग कार्मिकों को नियत वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश नही है परन्तु वित्त समिति/कार्य परिषद के निम्न वर्णित निर्णयों के क्रम में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियत वेतन के भुगतान किये गये है। वित्त समिति की बैठक दिनांक 01.03.2006 के बिन्दु संख्या–01 (ए) पर विश्वविद्यालय में दैनिक/संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को शासनादेश संख्या–0214 (1) 70–4/2000 दिनांक 04.02.2000 के क्रम में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम की आय–व्यय को देखते हुए नियत वेतन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इसी बैठक के प्रस्ताव 01 (बी) पर सामान्य निधि में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया कि फिलहाल सम्बन्धित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में कार्यरत कर्मचारियों की भॉति प्रस्तर–1 (ए) पर लिये गये निर्णय के अनुसार नियत वेतन दिया जा सकता है।

तदोपरान्त वित्त समिति की बैठक दिनांक 01.03.2006 के क्रम में तत्कालीन कुलपति महोदय के कार्यालय पत्र संख्या–वी0सी0/59/2006 दिनांक 25.03.2006 द्वारा दैनिक/संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियत वेतन प्रदान किया गया।

तदोपरान्त दिनांक 03.04.2006 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक के बिन्दु संख्या–01 पर विचार करते हुए बैठक दिनांक 01.03.2006 के कार्यवृत्त में बिन्दु संख्या–01 (ए) व 01 (बी) मे निम्नांकित को समावेशित करने की संस्तुति की गयी–"नियुक्ति/ सेवा विस्तार संविदा पर की जायेगी जिसकी अवधि मा0 कुलपति महोदय की संस्तुति से निश्चित होगी और अधिकतम 11 माह की अवधि तक होगी" साथ ही तत्कालीन कुलपति जी द्वारा जारी पूर्व वर्णित आदेश दिनांक 25.03.2006 का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 01.03.2006 तथा 03.04.2006 के कार्यवृत्त को दिनांक 31.08.2006 की कार्य परिषद की

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

बैठक के विनिश्चय सं0–20 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

सचिव/कुलसचिव ने अवगत कराया कि नियत वेतन दिये जाने सम्बन्धी कोई स्पष्ट शासनादेश नही है और पूर्व में कार्य परिषद के निर्णय के आधार पर विश्वविद्यालय अपने संशाधनो से नियत वेतन देता आ रहा है।

उक्त परिचर्चा के क्रम में परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि दिनांक 31.03.2011 तक दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को आवश्यकतानुसार 11 माह के लिए कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त नियत वेतन प्रदान कर दिया जाये एवं आवश्यकतानुसार इनका सेवा विस्तार 11–11 माह के लिए पुनः बढ़ाने पर विचार किया जाये। नियत वेतन के रूप में इन कर्मियों को वही भुगतान देय होगा जो वर्तमान में समकक्ष नियत वेतन भोगी कर्मचारियों को दिया जा रहा है।

9/2015–मदसंख्या16 परिषद द्वारा डॉ0 रविकान्त सहायक आचार्य हिन्दी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के सम्बन्ध में अध्यक्ष, कार्य परिषद को निर्णयार्थ अधिकृत किया गया था। अतएव मा0 अध्यक्ष, कार्य परिषद द्वारा डॉ0 रविकान्त को प्रोन्नति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर समग्र विचारोपरान्त कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जिस पर परिषद द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

9/2015–मद संख्या 17 परिषद द्वारा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से लखनऊ विश्वविद्यालय में कक्षाएं शुरू करने हेतु प्रस्तुत Memorandum of Understanding से परिषद को अवगत हुई तथा एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

9/2015–मद संख्या 18 परिषद द्वारा डॉ0 प्रेम चन्द्र सिंह यादव, सहायक आचार्य, विधि संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के विरूद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही को समाप्त किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया एवं डॉ0 शैलेश कौशल, एम0बी0ए0 के विरूद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही को भी समाप्त किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/2015–मद संख्या 19 – कार्य परिषद द्वारा दिनांक 18.09.2015 की सम्पन्न हुई विद्या परिषद की बैठक के कार्यवृत्त पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

9/2015–मद संख्या 20 परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में अंशकालिन प्रवक्ताओं को कैरियर एडवान्समेन्ट स्क्रीम के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में सचिव/कुलसचिव द्वारा सदन को विभागवार पद की स्थिति तथा सम्बन्धित प्रवक्ताओं की अर्हता के सम्बन्ध में संक्षिप्त सारांश से अवगत कराया गया। जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय, शिक्षाशास्त्र विभाग, मानवशास्त्र विभाग तथा लोक प्रशासन विभाग सम्मिलित है। विधि संकाय में कुल तीन पद रिक्त है जिसमें श्री वी0एन मिश्रा, को अर्हता पूर्ण न रखने के कारण सम्मिलित किया जाना सम्भव नही है तथा श्री देव नरायण श्रीवास्तव एवं श्री ओम प्रकाश शर्मा को स्टेज–02 पर विचार हेतु प्रकरण परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार मानवशास्त्र विभाग में कार्यरत डॉ0 केया पाण्डेय को स्टेज–02 पर विचार हेतु प्रकरण परिषद के

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

समक्ष प्रस्तुत किया गया। तथा शिक्षाशास्त्र विभाग में कार्यरत प्रवक्ता डॉ0 आराधना पाण्डेय तथा डॉ0 किरन लता डंगवाल को विभाग में सामान्य श्रेणी के पद न होने के कारण सम्मिलित किया जाना सम्भव नही है। इसी प्रकार लोक प्रशासन विभाग में डॉ0 वैशाली सक्सेना को स्टेज–02 अथवा स्टेज–03 पर विचार हेतु प्रकरण परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सभी निर्णय कार्य परिषद के निर्णय तथा मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगें। अन्त में परिषद ने उक्त प्रकरण के तथ्यों से विधिवत अवगत होते हुए उक्त के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से उपरोक्तानुसार विचारण हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

18/3/15

(अखिलेश कुमार मिश्रा)
कुलसचिव / सचिव

(डॉ0 एस0बी0 निमसे)
कुलपति / अध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner